


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087)/2018/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 363 दिनांक 21.03.2016 द्वारा श्रीमती नफीसा बानो एवं श्रीमती शम्भू यादव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालपुरा (टोंक) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0स0	नाम कर्मचारी	जीएनएम प्रशिक्षण अवधि का अवकाश
1	श्रीमती नफीसा बानो	1. दिनांक 11.11.2016 से 10.03.2017 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 11.03.2017 से 10.11.2017 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	श्रीमती शम्भू यादव	1. दिनांक 11.11.2016 से 10.03.2017 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 2. दिनांक 11.03.2017 से 10.11.2017 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।


  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1087)/2018/622 दिनांक:- 03/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालपुरा (जिला टोंक)।
3. प्रधानाचार्य, रेखा देवी मेमोरियल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मालपुरा, अविकानगर, टोंक।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर